

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 17/2022

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2022/85

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. सुन्दर देवी पुत्री देवाराम जाति जाट निवासी धुन्धला तहसील मा.ज. जिला पाली		1. नेमाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी धुन्धला तहसील मा.ज. जिला पाली
		2. भंवरलाल पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी धुन्धला तहसील मा.ज. जिला पाली
		3. शिवलाल उर्फ शिवराम पुत्र श्री देवाराम जाति जाट निवासी धुन्धला तहसील मा.ज. जिला पाली के विधिक वारिसान 3/1 भागीरथी पुत्री शिवलाल उर्फ शिवराम 3/2 प्रमीला पुत्री शिवलाल उर्फ शिवराम 3/3 भूमिका पुत्री शिवलाल उर्फ शिवराम 3/4 शोभा देवी पत्नी शिवलाल उर्फ शिवराम
		4. पारसराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी धुन्धला तहसील मा0ज0 जिला पाली
		5. तहसीलदार मा.ज. जिला पाली

“अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956”

उपस्थित :-


1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्रनारायण ओझा।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 04 स्वयं उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 05 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना।

—: निर्णय :-

दिनांक:- 30/12/2024

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम धुन्धला के नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 23.12.1994 के विरुद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट के पिता देवाराम की मौजा धुन्धला तहसील मारवाड़ जंक्शन


अति. जिला कलक्टर, पाली

में भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 286 है। अपीलाण्ट के पिता तथा माता नोजी बाई का देहान्त हो चुका है एवं रेस्पोजेण्टगण संख्या 01 से 04 देवाराम की जाईन्दा संतान एवं अपीलाण्ट के भाई बहन है। अपीलाण्ट के पिता देवाराम फौत हो जाने पर जैर आराजी का फौतेदगी म्युटेशन केवल देवाराम के पुत्रों के पक्ष में भरा गया। जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व मृतक देवाराम के विधिक वारिसानों की जांच न कर रेस्पोजेण्टगण को अनुचित लाभ दिलाने के नियत से विधिविरुद्ध तरीके से भरा गया। साथ ही हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पिता की सम्पत्ति पर पुत्र एवं पुत्रियों का बराबर हक है। अपीलाण्ट को उक्त जैर अपील की जानकारी अपीलाण्ट को होने पर तहसील कार्यालय से जैर अपील नामान्तरकरण प्राप्त कर श्रीमान के न्यायालय में जैर अपील पेश की है। इसलिये विधिविरुद्ध तरीके से स्वीकृत अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोजेण्टगण संख्या 01 से 03 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1994 में भरा गया था जो देवाराम के विधिक उत्तराधिकारियों एवं रेकर्ड की विधिनुसार जांच कर भरा गया था। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को होने के बावजूद भी अपीलाण्ट 28 वर्ष बाद श्रीमान के न्यायालय में अपील पेश की तथा उक्त देरीना के संबध में अपीलाण्ट ने कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नहीं किया, जो म्याद बाहर होने से ही काबिल खारिज योग्य है। इसके सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट ने न्यायिक दृष्टांत राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण 2021 आरआरटी 851 रिछपाल बनाम विद्याधर एवं राजस्थान हाई कोर्ट 2014(2) आरआरटी 1255 कृष्णपालसिंह बनाम सरकार पेश कर जैर अपील याचिका को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

रेस्पोजेण्ट संख्या 04 ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाण्ट, रेस्पोजेण्ट की बयोलॉजिकल बहन है तथा उनके पिता का देहान्त होने के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम सूची की अधिकारिता है और उसका नाम कानूनन आना चाहिए, जो नहीं आया। इसलिये अनैतिक तरीके से स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण को खारिज फरमाते। अतः जैर अपील को स्वीकार किया जाता है तो रेस्पोजेण्ट संख्या 04 को कोई आपत्ति नहीं है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम धुन्धला के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 23.12.1994 के विरुद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र हसब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ-पत्र के निर्णय में उचित समझते हैं कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। प्रकरण में अपीलाण्ट का देवाराम की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा

अति. जिला कलेक्टर. पाली



हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते हैं तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तदनुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम-दृष्ट्या विधि विरुद्ध है जिससे प्रार्थना-पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ-पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते हैं।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस मुख्य रूप से यह उज्र किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोजेण्ट संख्या 01 से 04 के पिता देवाराम की ग्राम धुन्धला तहसील मारवाड़ जंक्शन में कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा नम्बर 286 है। देवाराम फौत हो जाने पर जैर आराजी का फौतेदगी नामान्तरकरण केवल उनके पुत्रों के पक्ष में स्वीकृत किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट जो कि मृतक देवाराम की पुत्री है उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 277 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट ने अपीलाण्ट, देवाराम के विधिक उत्तराधिकारी/वारिशांन होने के तथ्य को भी किसी रूप में नकारा नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत हिन्दु के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिशांन में उनकी पुत्रियां भी शामिल होती हैं परन्तु इस प्रकरण में मृतक देवाराम की विरासत में उनकी पुत्रियों को वंचित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरुद्ध है तथा जैर नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम धुन्धला के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 277 दिनांक 23.12.1994 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज/संक्षय की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली